न्यायालयीन अवमानना : रायपुर एसपी से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : रायपुर एसपी हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप में फंस गए हैं। नाराज हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एएसआइ के रिटायरमेंट के बाद भी उसके खिलाफ रिकवरी आदेश जारी कर समस्त देयकों को रोक दिया गया। आदेश के बाद भी भुगतान नहीं करने पर हाई कोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

शौर्य पेट्रोल पंप (पुलिस पंप) रायपुर में कार्यरत सहायक उपनिरीक्षक (मैकेनिक) के खिलाफ पेट्रोल पंप में अनियमितता बरतने एवं एक करोड़ से अधिक की राशि गबन करने के आरोप में विभागीय कार्रवाई करते हुए लगभग 10 लाख राशि वसूली का आदेश सात साल पूर्व जारी किया गया था। रिकवरी आदेश के खिलाफ सब इंस्पेक्टर मैकेनिक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने वसूली पर रोक लगाते हुए विभाग के आदेश को रद कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद 21 फरवरी 2024 को वह सेवानिवृत हो गया। पूर्व के रिकवरी का जिक्र करते हुए विभाग ने समस्त सेवानिवृत लाभों के भुगतान पर रोक लगा दी। पुलिस विभाग के इस आदेश को चुनौती दी थी।

AnyScanner